यूएई पर 1,475 ड्रोन एवं 270 मिसाइल हमले

ईरान पर इजरायल के हमलों में अब तक 1,300 से अधिक नागरिक मरे

दुबई/न्यूयॉर्क, 11 मार्च. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के 12वें दिन भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश को वायु रक्षा प्रणालियों ने आसमान में ही नष्ट कर दिया.दुबई में लोगों को संभावित हमले के खतरे को लेकर आपातकालीन मोबाइल अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में स्थिति सामान्य होने पर वापस ले लिया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका-इजरायल के हमलों में अब तक 1,300 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और हजारों नागरिक ठिकाने तबाह हो चुके हैं. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का लगातार जवाब दे रही हैं। दुबई में लोगों को सरकारी आपातकालीन मोबाइल अलर्ट भेजकर संभावित मिसाइल खतरे के बारे में चेतावनी दी गई और तुरंत सुरक्षित इमारतों में जाने को कहा गया।

जी-7 के ऊर्जा मंत्रियों ने कच्चे तेल की कीमतों पर की बात

पेरिस. जी-7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ मिलकर सभी जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक के साथ 10 मार्च को हुई एक आभासी बैठक के बाद जी-7 देशों के मंत्रियों ने एक बयान में कहा जी-7 के सदस्य देश इन चर्चाओं के दौरान दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से, हम इस स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने का समर्थन करते हैं, जिसमें रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि वे जी-7, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया, हम अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहने पर सहमत हुए हैं.

ईरान की बैंकों पर हमले की चेतावनी

तेहरान. ईरान ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वह क्षेत्र में स्थित अमेरिका और इजरायल से जुड़े आर्थिक केंद्रों, बैंकों और गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बना सकता है। यह बयान कथित तौर पर एक ईरानी बैंक पर हुए हमले की प्रतिक्रिया में आया है.

हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियमों का होगा निर्माण : सीएम धामी

देहरादून, 11 मार्च. उत्तराखंड सरकार प्रदेश के हर ब्लाक में मिनी स्टेडियमों का निर्माण करवाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को यह जानकारी दी. हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी। इस आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल संरचना विकसित किया गया। लेगेसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने इस खेल संरचना का उपयोग एकेडमी के रुप में करने का निर्णय लिया है.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्या: U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने उधारकताओं को नीचे उल्लिखित मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया है। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
ऋण लेने वाले व्यक्ति और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि, उस पर लगने वाले ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, नीचे उल्लिखित तिथि से देय होगा। ऋण लेने वाले व्यक्ति का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता सं.	दायित्वकर्ता(यों) का नाम /कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों)	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तारीख
9919286	श्री अजय रामी (ऋणकर्ता) श्रीमती टीना रामी (सह-ऋणकर्ता)	रु. 1,12,05,884/- 17.12.2025 तक	09.03.2026 (प्रतीकात्मक)

अनुसूची संपत्ति -I- मकान संख्या 113/2, कुल क्षेत्रफल 71.12 वर्ग मीटर (निर्मित और खुला क्षेत्र सहित), उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में पूर्व-पश्चिम लंबाई 19.12 मीटर और उत्तर-पश्चिम दोनों दिशाओं में उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 3.72 मीटर, साथ ही निर्मित भूतल क्षेत्र 51.04 वर्ग मीटर और खुला क्षेत्र 20.08 वर्ग मीटर, लगभग 77 वर्ष पुराना, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा। योगेश्वर टेकरी लेन (तिलक मार्ग लेन), उज्जैन में स्थित। निम्नलिखित सीमाओं से घिरा हुआ:- पूर्व में: योगेश्वर टेकरी लेन, पश्चिम में: मकान संख्या 113/2/1, उत्तर में: संतोष जैन और आशा (संतोष जैन की पत्नी), अशोक शर्मा और दिलीप शर्मा का घर, दक्षिण में: दीपक रामी और कमला रामी का घर।
अनुसूची संपत्ति -II अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, जिसका नगर निगम क्रमांक 113/2/1 है, कुल क्षेत्रफल 44.64 वर्ग मीटर (निर्मित क्षेत्र सहित) है, जिसकी उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में पूर्व-पश्चिम लंबाई 6.00 मीटर और उत्तर-पश्चिम दोनों दिशाओं में उत्तर-दक्षिण चौड़ाई 3.72 मीटर है, साथ ही निर्मित भूतल का क्षेत्रफल 22.32 वर्ग मीटर और निर्मित प्रथम तल का क्षेत्रफल भी 22.32 वर्ग मीटर है, जो लगभग 77 वर्ष पुराना है, जिसमें भूतल का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए और प्रथम तल का उपयोग आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाता है, जो तिलक मार्ग, उज्जैन में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: मकान, नगर निगम क्रमांक 113/2, पश्चिम में: सड़क, उत्तर में: अशोक शर्मा और दिलीप शर्मा का मकान (त्याग में आधी दीवार शामिल), दक्षिण में: कमला रामी का मकान (त्याग में आधी दीवार शामिल)।

दिनांक:- 12.03.2026
स्थान:- इंदौर
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा
(स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन विभाग)

क्रमांक 1839/ स्वा. वि. / ई-टेण्डरिंग / 2026 — खण्डवा, दिनांक 09/03/2026

-: निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम खण्डवा मे निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है । उल्लेखित कार्य की निविदा का विवरण वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	ऑनलाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UADD _488630_1	Offers invitiang Sterilization & |Immunization of Stray Dogs in KMC Under Animal Birth Control Programme	21.00	21000/-	5,000/-	निविदा जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक

1. निविदा ऑनलाइन कय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 06/04/2026 (शाम 5.30 बजे तक)
2. निविदा खोलने की दिनांक :- 08/04/2026 (प्रातः 10.30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा

उपायुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस, तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **30-03-2026** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **30-03-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **28-03-2026** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL009700010032 9815 & TCHIN0097 000100331 549	श्री कमलेश जाट श्रीमती ज्योति जाट	₹ 16,66,713/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 1,89,218/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹18,55,931/- 03-07-2025	₹ 19,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ 1,90,000/- कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ 2,14,609/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0097000100331549 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 18,12,725/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0097000100329815 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 20,27,334/- 02-03-2026
2	TCHHF064 300010025 0224	श्रीमती मंजू राठौड़ श्री राकेश राठौड़	Rs. 10,88,302/- 10-07-2024	Rs.13,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) – Rs.1,30,000/- कब्जे का प्रकार – भौतिक	Rs. 15,06,044/- 02-03-2026
3	TCHHL064 300010000 0646 & TCHHF06 430001000 00661 & TCHIN064 300010014 7373 & TCHIN064 300010026 0329 & TCHIN064 300010026 9413	श्री सुरेश पाटीदार श्रीमती पुष्पा पाटीदार	₹ 20,89,753/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 12,24,201/-आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 7,72,966/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 9,51,318/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय एवं ₹ 9,58,893/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 59,97,131/- 10-12-2024	₹ 45,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): ₹ 4,50,000 /- कब्जे का प्रकार : भौतिक	₹ 11,45,089/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100260329 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹9,19,661/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100147373 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 24,33,547/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHF0643000100000661 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 11,53,911/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHIN0643000100269413 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं ₹ 14,39,684/- आपके द्वारा अनुबंध संख्या TCHHL0643000100000646 के अंतर्गत बकाया एवं देय हैं एवं कुल राशि ₹ 70,91,892/- 02-03-2026

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, प्लॉट नं. 25, डायमंड पार्क, वार्ड नं.04 स्थित, नगर परिषद राजगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.) क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट यानि (92.936 वर्ग मीटर) **चर्तुसीमा:–** पूर्व :- प्लॉट नंबर 08, पश्चिम:- कॉमन रोड, उत्तर:- प्लॉट नंबर 24, दक्षिण:- प्लॉट नंबर 26

अचल संपत्ति का विवरण:– उक्त अचल संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग मकान नं. 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम 47001, उक्त मकान का भूतल ऊपर आरसीसी से बना है। कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फुट या (41.42 वर्ग मीटर) है। **चर्तुसीमा:** पूर्व : निकास एवं सड़क, पश्चिम: रामरतन का मकान, उत्तर: शांतिबाई का मकान, दक्षिण: गली

अचल संपत्ति का विवरण : अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, आवासीय मकान 09, वार्ड नंबर 30, सांवरिया कॉलोनी (बन्नाखेड़ा) जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) में स्थित, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.90 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमा:–** पूर्व : 5 फीट गली, पश्चिम: 30 फीट चौड़ी कॉलोनी रोड, उत्तर: पाठकजी का मकान, दक्षिण: अन्य का प्लॉट

स्पष्टीकरण :- ऋणी द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर किया गया सिक्योरिटाइजेशन आवेदन (SA/832/2025) DRT जबलपुर में लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टेआर्डर पास नहीं किया गया है।

नोट :– बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले पूरी जांच–पड़ताल कर लें। नीलामी किसी भी मुकदमे या विवाद के नतीजे पर निर्भर होगी।
नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रुप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई–नीलामी पोर्टल https://BidDeal.in के माध्यम से दिनांक 30-03-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। **2.** संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। **3.** बोली वृद्धि राशि: **रु. 10,000/– (दस हजार मात्र) 4.** संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5.** उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। **6.** उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। **7.** संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **17-03-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। **8.** खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। **9.** उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। **10.** उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। **11.** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई–नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स वेल्यू ट्रस्ट केपिटल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड, 585 हेस्टींग कॉलोनी, वीआईपी नगर, आनंदपुर, कोलकाता 700 100, अपने समन्वयकों, Auction.Manager@BidDeal.in के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें। 13.** उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। **14.** उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/junzfz** का संदर्भ लें। **15.** कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/–
स्थान : इन्दौर (म.प्र.)
दिनांक : 12-03-2026
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ पक्षपात के सबूत पेश किए

नई दिल्ली, 11 मार्च. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली आबकारी नीति मामले के कई अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है.

उन्होंने इस मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने तर्क दिया है कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की सुनवाई एक निष्पक्ष बेंच द्वारा की जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि इसी आबकारी मामले में जज द्वारा पारित कई आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है. अपने पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह अनुरोध एक गंभीर और वास्तविक चिंता के कारण किया गया है. उन्हें डर है कि इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह और अन्य मामले को किसी अन्य बेंच के सामने रखा जाए. इससे न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जनता का विश्वास बना रहेगा। पत्र में बताया गया है कि 17 अगस्त 2022 को दर्ज सीबीआई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 18 बनाया गया था। उन्हें 26 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 23 आरोपियों से जुड़ी पांच चार्जशीट पर लगभग दो महीने तक आरोपों पर बहस सुनी। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 27 फरवरी 2026 को विशेष सीबीआई अदालत ने एक विस्तृत आदेश पारित किया। इसमें सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए लगभग 50 पन्नों की एक रिवीजन याचिका दायर की है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	59935964	संपत्ति के बदले ग्रामीण ऋण	27.01.2026	3,21,318.91/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. अर्जुन सिंह सिसौदिया 2. मगनबाई बालूसिंह 3. अर्जुन सिंह सिसौदिया C/O अर्जुन सिंह 4. मगनबाई बालूसिंह C/O बालूसिंह

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अगर जिले में स्थित ग्राम पंचायत खिमाखेड़ी के सर्वेक्षण संख्या 89, पीएच नं. 49, मकान संख्या 29 वाली संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1728 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में सड़क, उत्तर में मरवन सिंह का मकान, दक्षिण में सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 12.03.2025
स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

वैश